Prof. Khushbu Kumari
Guest Teacher
Dept. of Political science
V.S.J. College Rajnagar, Madhubani, lnmu

Class- B.A-2 (H)

Page No.
Date Paper- III

Topic - भारतीय संविधान की प्रस्तावना

Lecture - 2

② भारत एक समाजवादी राज्य है —
यद्यपि भारतीय संविधान में आरम्भ से ही समाजवाद की भावना पाई जाती है, परन्तु भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्ष 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा "समाजवाद" शब्द शामिल किया गया। इससे यह तात्पर्य निकलता है कि भारत सभी प्रकार का शोषण समाप्त करने के लिए आय, स्रोतों और सम्पत्ति के न्यायपूर्ण विभाजन की प्राप्ति अपने समस्त लोगों के लिए सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त करने के लिए वचनबद्ध है। परन्तु समाजवाद मार्क्सवादी / क्रान्तिकारी ढंगों से प्राप्त नहीं किया जाना है बल्कि यह शान्तिपूर्वक संवैधानिक और लोकतंत्रीय ढंगों के द्वारा प्राप्त किया जाना है।

③ भारत एक धर्म-निरपेक्ष राज्य है —

42वें संशोधन के द्वारा 'धर्म-निरपेक्षता' को भारतीय राज्य की एक प्रमुख विशेषता के रूप में प्रस्तावना में स्थान दिया गया। इसको शामिल करने से भारतीय संविधान

की धर्म-निरपेक्ष प्रकृति की ओर स्पष्ट किया गया। एक राज्य के रूप में भारत किसी भी धर्म को विशेष स्तर नहीं देता। भारत ने सभी धर्मों को एक समान स्वतंत्रता की सुरक्षा देकर धर्म-निरपेक्षता को अपनाया है। यह सभी नागरिकों के लिए धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के पक्ष में है। संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक नागरिकों की धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन है। यह सभी नागरिकों को बिना किसी पक्षपात के अधिकार देता है और कानून का राज्य अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा की व्यवस्था करता है। राज्य नागरिकों की धार्मिक स्वतंत्रता में कोई हस्तक्षेप नहीं करता और संविधान धार्मिक उद्देश्यों के लिए कर लगाने की मनाही करता है।

(4) भारत एक लोकतंत्रीय राज्य है — प्रस्तावना भारत को एक लोकतंत्रीय देश घोषित करती है, भारत का संविधान एक लोकतंत्रीय प्रणाली की व्यवस्था करता है। सरकार की सत्ता लोगों की प्रभुसत्ता पर निर्भर है। लोगों को एक समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं। सार्वजनिक वयस्क मताधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, सरकारी पद प्राप्त करने का अधिकार, संगठन स्थापित करने का अधिकार और सरकार

की नीतियों की आलोचना और विरोध करने का अधिकार, अपने विचार प्रकट करने और बोलने का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता और शान्तिपूर्वक सभाएँ करने की स्वतंत्रता की प्रत्येक नागरिक को गारंटी दी गई है।

भारत का सर्वोच्च न्यायालय संविधान और इसके साथ ही इसके द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों की रक्षा करने वाला संरक्षक है।

(5) भारत एक गणराज्य है —

प्रस्तावना भारत को एक गणराज्य घोषित करती है। इसका अर्थ यह है कि भारत में राज्य का अध्यक्ष एक निर्वाचित मुखिया होता है जोकि एक निर्धारित कार्यकाल के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करता है। शब्द 'गणराज्य' का अर्थ, जिसका कि प्रस्तावना में प्रयोग किया गया है स्पष्ट करते हुए, डी.डी. बसु कहते हैं कि इससे दो महत्वपूर्ण तथ्यों का पता लगता है, न केवल हमारे पास देश का पैतृक राजा होने के स्थान पर एक निर्वाचित राष्ट्रपति होगा बल्कि देश में ऐसी कोई विशेष शासक श्रेणी भी नहीं होगी और सभी पद छोटे से लेकर बड़े से बड़े तक सभी नागरिकों के लिए बिना किसी जाति-पाति, नस्ल, धर्म या लिंग के पक्षपात के खुले होंगे। इस प्रकार भारतीय नागरिक सबका नागरिक होगा।

Khushbu Kumari 24th Sept 2020